16/01/25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। चार कारी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/690

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:07:15 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

मनोज कुमार बनाम देवीलाल आदि

किस्म मुकदमाः– 88 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–340/2024 CIMS:- 2024/690

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने वाद को दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 7 जीएमडी के पत्थर नं. 68/296 (1) के किला नं. 1, 2, 3/2, 4 ता 25 कुल 6.262 हैक्टर अ0क0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता चन्दूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहदायिक होने से जैरवाद रकबा में वादी का 1/3 हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर जन्म से निहित है। जैरवाद रकबा में प्रतिवादी संख्या 2 का भी सहदायिक होने से 1/3 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 2 की शादी हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 2 अपने ससुराल में रह रही है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा यानि वादग्रस्त भूम में अपना 1/3 हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया है। वादी उक्त 2/3 हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी वादी स्वीकार किया जावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1–2 की ओर से वकील श्री सुभाष देहडू ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा साथ ही उभय पक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा राजीनामा अनुसार ही वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1–2 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है। मुताबिक राजीनामा डिक्री करने से उभय पक्ष को कोई आपत्ति नही है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादी वादी स्वीकार कर तहसील सूरतगढ़ के चक 7 जी0एम0डी0 की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 19 नया 13 पुराना के पत्थर नं. 68/296 (1) की 6.262 हैक्टर अ0क0 भूमि में वादी को 2/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या–1 के नाम अंकित रकबा में से 2/3 हिस्सा कलमजन कर वादी के पक्ष में रकबा दर्ज किया जावे। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में यथावत् रहे। उक्त खाता पर रहन का नोट यथावत् रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इसी अनुसार अंकन करना सुनिश्चित करें। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2025.01.21 16:07:15 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी:– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस)

1. मनोज कुमार पुत्र देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

– वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र चन्दुराम जाति बिश्नोई साकिन घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. पुष्पा पुत्री देवीलाल पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 2 चक 9 डी0बी0एन0 (ढ़ाणी) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
4. बैंक ऑफ इण्डिया बैंक, शाखा सरदारपुरा बीका जरिये शाखा प्रबन्धक

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा– 88 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 340 वर्ष 2024 में प्रस्तुत यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री अमरजीत सिंह सन्धु एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1–2 श्री सुभाष देहडू तथा पैरोकार राज के हाजिर हाने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादी वादी स्वीकार कर तहसील सूरतगढ़ के चक 7 जी0एम0डी0 की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 19 नया 13 पुराना के पत्थर नं. 68/296 (1) की 6.262 हैक्टर अ0क0 भूमि में वादी को 2/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या–1 के नाम अंकित रकबा में से 2/3 हिस्सा कलमजन कर वादी के पक्ष में रकबा दर्ज किया जावे। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में यथावत् रहे। उक्त खाता पर रहन का नोट यथावत् रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इसी अनुसार अंकन करना सुनिश्चित करें।

नोज........x..........मुबलिग....... x.......बाबत..... x ....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..... x.... फस्दों की पालना....... x..........आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.01.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:07:15 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़